रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-128/91

REGISTERED No. D. (D.N.)-128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 16, 1991/माघ 27, 1912

No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 16, 1991/MAGHA 27, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1991

का. नि. आ. 17 :—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा मेजर एम एल शर्मा का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, वाराणसी में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फाइल संख्या-19/57/वाराणसी/सी/डीई/90/5906/डी क्यू एण्ड सी)]

का. नि. आ. 18 :—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमाण्डर, वाराणसी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेजर ए के यादव को छावनी बोर्ड, वाराणसी का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन मेजर एम एल शर्मा के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फाइल संख्या —19/57/वाराणसी/सी/डी ई/90/5906-ए/डी (क्यू एण्ड सी)]

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 8th January, 1991

S.R.O. 17.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Varanasi by reason of the acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command of the resignation of Maj M. L. Sharma.

[F. No. 19/57/Varanasi/C|DE|90|5906|D(Q&C)]

S.R.O. 18.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Maj A. K. Yadav has been nominated as a member of the Cantonment Board, Varanasi by the Station Commander Varanasi in exercise of the powers conferred under clause (o) of sub-section (3) of section 13 of that Act vice Maj M. L. Sharma whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/57/Varanasi/C|DE|90|5906-A|D(Q&C)]

ले. कर्नल ए. पी. एम. अलैक्जेंडर का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, बेलगाम में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फाइल संख्या—19/31/बेलगाम/सी/डीई/90/5788/डी (क्यू एण्ड सी)]

New Delhi, the 8th January, 1991

S.R.O. 29.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Belgaum by reason of the acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command of the resignation of Lt. Col. A. P. M. Alexander.

[F. No. 19/31/Belgaum/C/DE/90/5788/D(Q&C)]

का. नि. आ. 30:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, बेलगाम ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ले. कर्नल एस. प्रकाश को छावनी बोर्ड, बेलगाम का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन ले. कर्नल ए. पी. एम. अलेक्जेंडर के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फाइल सं.—19/31/बेलगाम/सी/डी ई/90/5788—ए/डी (क्यू एण्ड सी)]

S.R.O. 30.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. S. Prakash has nominated as a member of the Cantonment Board, Belgaum by the Station Commander Belgaum in exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (3) of section 13 of that Act vice Lt. Col. A. P. M. Alexander whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/31/Belgaum/C/DE/90/5788-A/D(Q&C)]

का. नि. आ. 31:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिण कमान द्वारा कर्नल एस. एम. पुरन्दारे का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, देहू रोड में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फाइल संख्या—19/32/देहू रोड/सी/डीई/90/5904/डी (क्यू एण्ड सी)]

S.R.O. 31.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Dehu Road, by reason of the acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command of the resignation of Col. S. M. Purandare.

[F. No. 19/32/Dehu Road/C/DE/90/5904/D(Q&C)]

का. नि. आ. 32:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमाण्डर, देहू रोड ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल के०एम० सोहू को छावनी बोर्ड, देहू रोड का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन कर्नल एस. एम. पुरन्दारे के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फाइल संख्या—19/32/देहू रोड/सी/डी ई/90/5904—ए/डी (क्यू एण्ड सी)]

जसवन्त सिंह, अवर सचिव

S.R.O. 32.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. K. S. Sohu has been nominated as a member of the Cantonment Board, Dehu Road by the Station Commander Dehu Road in exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (3) of section 13 of that Act vice Col. S. M. Purandare whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/32/Dehu Road/C/DE/90/5904-A/D(Q&C)]

JASWANT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1991

का. नि. आ. 33:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,—

(1) नियम 2 में, खण्ड 12 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(13) "भर्ती बोर्ड" से नियम 8 के उपनियम (3) के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है।"

(2) उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) वैज्ञानिक "ख" श्रेणी के 90 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा या ऐसे उपयुक्त अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या संविदा पर या आमेलन द्वारा, जिन्हें प्रति-

नियुक्ति या संविदा पर नियुक्त किया गया था और 10 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा या ऐसे उपयुक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति या संविदा या आमेलन द्वारा, जिन्हें प्रतिनियुक्ति या संविदा पर नियुक्त किया गया था, भरे जाएंगे। ऐसे सभी वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक जिन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास अनुसूची 3 में वैज्ञानिक "ख" के पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं, ऐसी परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे और इसमें कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तीन से अधिक बार सम्मिलित होने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वे किसी ऐसे अपवाद के अन्तर्गत न आते हों जो समय समय पर सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए जाएं। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के विनियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 8 में उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) नियम 6 के उपनियम (2) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा चयन अनुसूची 1-क में विनिर्दिष्ट गठित भर्ती बोर्ड द्वारा साक्षात्कार या लिखित परीक्षा या दोनों द्वारा किया जाएगा और अभ्यर्थियों की आयु अनुसूची 3 के स्तंभ 5 में विनिर्दिष्ट आयु सीमा के भीतर होगी। इस उपनियम में विनिर्दिष्ट पद्धतियों के अधीन सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव वही होंगे जो अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु नियम 6 के उपनियम (1) और उपनियम (3) से उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट पद्धतियों द्वारा चयन को स्तंभ 5 के अधीन विनिर्दिष्ट आयु सीमा लागू नहीं होगा",

परन्तु यह और कि विनिर्दिष्ट पदों के लिए अर्हता और अनुभव के संबन्ध में अपेक्षित विनिर्दिष्ट विद्या शाखा/क्षेत्र वे होंगे जो महानिदेशक समय समय पर विनियमित करेंगे।

1. अतिरिक्त अनुसूची 1-क संलग्न है।

अनुसूची—1 क

[नियम 8 (3) देखें]

रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा में अभ्यर्थियों की भर्ती की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए भर्ती बोर्ड :—

(1) अध्यक्ष	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
या	
सह-अध्यक्ष	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सूची से, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
(2) दो बाहरी सदस्य	अध्यक्ष द्वारा शैक्षिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास संगठनों या उद्योगों से नाम-निर्देशित किये जाएंगे।
(3) दो विभागीय सदस्य	महानिदेशक, अनुसंधान और विकास द्वारा नाम निर्देशित किये जाएंगे।

टिप्पण :—अध्यक्ष के सिवाय बोर्ड के किसी सदस्य की अनुपस्थिति की दशा में निर्धारण बोर्ड की कार्यवाईयां अविधिमान्य नहीं होंगी।

[डी आर डी ओ/76205/आरडी-एस पी डी-2/188/डी (आर एण्ड डी)]

दुर्गा दास, अवर सचिव

टिप्पण :—रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा के मूल भर्ती नियम, भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड-4 में का. नि. आ. 8 दिनांक 30 दिसम्बर 1978 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और उनमें का. नि. आ. सं. 307 दिनांक 10 अक्तूबर 1980, का. नि. आ. 196 दिनांक 2 अगस्त 1982, का. नि. आ. 159 दिनांक 5 मई 1983, का. नि. आ. 176 दिनांक 7 अगस्त 1984, का. नि. आ. 228 दिनांक 13 नवम्बर 1984, का. नि. आ. 170 दिनांक 12 जुलाई 1985, का. नि. आ. 186 दिनांक 2 अगस्त 1985, का. नि. आ. 228 दिनांक 6 जून 1986, का. नि. आ. 158 दिनांक 4 मई 1987, का. नि. आ. 328 दिनांक 25 सितम्बर 1987, का. नि. आ. 11 ई दिनांक 10 अगस्त 1990 और का. नि. आ. 1 दिनांक 4 जनवरी 1991 द्वारा संशोधन किये गये थे।

New Delhi, the 17th January, 1991

S.R.O. 33.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the

Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (First Amendment) Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979 (hereinafter referred to as said rules),—

(1) In rule 2 after clause (12), the following shall be inserted, namely :—

"(13) "Recruitment Board" means the Board constituted under sub-rule (3) of rule 8."

(2) In rule 8 in sub-rule (1) of the said rules, for clause (a), the following shall be substituted, namely :—

"(a) The 90 per cent vacancies in the grade of Scientist 'B' shall be filled by direct recruitment, or by transfer on deputation or on Contract or by absorption of suitable officers who were appointed on deputation or Contract and 10 per cent through a Limited Departmental Competitive Examination failing which by direct recruitment or on deputation or on Contract or by absorption of suitable officers who were appointed on deputation or Contract. All Scientific and technical personnel with five years regular service in Defence Research and Development Organisation and possessing the educational qualifications prescribed for the post of Scientist 'B' in Schedule III shall be eligible to appear at such examination for which there shall be no upper age limit. Unless covered by any of the exception that may, from time to time, be notified by the Central Government in this behalf, no candidate shall be permitted to avail of more than three chances at such examination. The conduct of the Limited Departmental Competitive Examination shall be governed by the regulations of the Department of Defence Research and Development, Ministry of Defence."

(3) In rule 8 of the said rules, for sub-rule (3) the following shall be substituted, namely :—

"(3) Selection by direct recruitment under sub-rule (2) of rule 6, shall be by interview or written test or both by the Recruitment Board constituted as specified in Schedule 1E, and the candidates shall be within the age limit as specified in column 5 of Schedule III. The educational qualifications and experience for appointment to various posts in the service under the methods specified in this sub-rule shall be as specified in Schedule III.

Provided that the age limit specified under column (5) of Schedule III shall not apply to the selection by methods specified in sub-rules (1) and (3) to (6) of rule 6;

Provided further that the specific disciplines required for the qualification and experience for the posts specified shall be as specified by the Director General from time to time."

(4) Additional Schedule 1-E is appended.

SCHEDULE 1E

[See Rule 8(3)]

The Recruitment Board for assessing suitability of candidates for recruitment to Defence Research and Development Service.

(i) Chairperson—To be appointed by the Central Government.

or

Co-Chairperson—To be appointed by the Chairperson from a panel approved by the Central Government.

(ii) Two External Members—To be nominated by the Chairperson from Academic Institutions, Research and Development Organisations or Industries.

(iii) Two Departmental Members—To be nominated by Director General Research and Development.

Note.—The absence of a member of the Board other than the Chairman shall not invalidate the proceedings of the Assessment Board.

[No. DRDO/76205/RD-MPD-2/188/D(R&D)]

DURGA DASS, Under Secy.

Note.—The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India Part II. Section 4, vide S.R.O. 8 dated the 30th December, 1978, have been amended vide S.R.O. 307 dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196 dated the 2nd August, 1982, S.R.O. 159 dated the 5th May, 1983, S.R.O. 176 dated the 7th August, 1984, S.R.O. 228 dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170 dated the 12th July, 1985, S.R.O. 186 dated the 2nd August, 1985, S.R.O. 228 dated the 6th June, 1986, S.R.O. 158 dated the 4th May 1987, S.R.O. 328 dated the 25th September, 1987, S.R.O. 11-E dated the 10th August, 1990 and S.R.O. 1 dated the 4th January, 1991.

Publish

D(Coord)

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1991

का. नि. आ. 34:—छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 34 की उपधारा (1) (ख) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेजर एल एस सन्धू को छावनी बोर्ड, बबीना की सदस्य से हटाती है क्योंकि मेजर एल एस सन्धू जो बोर्ड के सदस्य नामित किए गए थे, उन्हें स्टेशन से बाहर तैनात किया गया था और उन्होंने फरवरी, 1989 से छावनी बोर्ड की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया था और न ही अपना त्यागपत्र दिया था।

[फाइल सं.-19/16/बबीना/ सी/डी ई /90/64/डी (क्यू एण्ड सी)]

New Delhi, the 8th January, 1991

S.R.O. 34.—In pursuance of sub-section (1)(b) of section 34 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby remove Major L. S. Sandhu from the membership of the Cantonment Board, Babina, as Major L. S. Sandhu, nominated as a member of the Board has posted out from Station and did not attend the meeting of the Cantonment Board since February, 1989 nor submitted his resignation.

[F. No. 19/16/Babina/C/DE/64/D(Q&C)]

का. नि. आ. 35:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि मेजर जमशेद हुसैन को मेजर एल एस सन्धू के स्थान पर, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्टेशन कमाण्डर द्वारा छावनी बोर्ड, बबीना का सदस्य नामित किया जाता है।

[फाईल सं -19/16/बबीना/सी/डीई/90/64-ए/-डी (क्यू एण्ड सी)]